

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध—क

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 के अनुसार तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) (यहां इसके उपरांत इसे "होलिडिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी, जोकि उक्त तिथि को, भारत में निगमित की गयी कंपनियां हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होलिडिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी, जोकि भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है और लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जिसे भारत में निगमित सहायक कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त किया गया था, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

- (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;
- (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और
- (3) समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे विचार से, होल्डिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी वास्तविक पहलुओं से एक समुचित आंतरिक वित्तीय प्रणाली है तथा अत्यधिक वित्तीय संसूचना पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त करना जो 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए इस समूह द्वारा तय किए गए वित्तीय संसूचना मानदंडों के बारे में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2020 के समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह ऐसी दो अनुषंगी कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की प्रचालन प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुसूची रिपोर्टों के आधार पर है।

वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जहां तक इसका संबंध संयुक्त रूप से नियंत्रित एक कंपनी से हो जो भारत में निगमित एक कंपनी है, जिसकी वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, की समुचितता और प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के संबंध में इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट तथा इस समूह की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समुचितता और कार्यचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के बारे में हमारी राय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संयुक्त रूप से नियंत्रित इस कंपनी के बारे में शामिल किए गए समूह के निवल लाभ का हिस्सा (जिसमें व्यापक आय शामिल है) और खुलासा इस समूह के लिए सही नहीं है।

इसके अतिरिक्त, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी के वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट में प्रयुक्त लेखापरीक्षा के परीक्षणों की प्रकृति, समय एवं सीमा के निर्धारण में ऊपर बताये गये प्रकटीकरण पर विचार किया है, तथा उपरोक्त प्रकटीकरण, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

मेसर्स एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

मेसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. : 000018एन/एन500091

नाम: एस. मूर्ति
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं : 072290
यूडीआईएन: 20072290AAAABE5939

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं : 092656
यूडीआईएन: 20092656AAAADT3669

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून 2020